

मंख्या: 383410 /III(2)/2026-ई0-46832/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
मंयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय: सेतु बन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत रेलवे ओवर ब्रिज (कुल लम्बाई 1326 मी0) के निर्माण की कुल लागत ₹ 109.44 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 18.46 लाख (₹ अठारह लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य पर व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल महर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	2	3	4	5
1.	सेतु बन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में लोहिया हैड रोड के किमी0 1 में रेलवे क्रॉसिंग नं0 30 बी0/2-टी0 पर रेलवे ब्रिज (आर0ओ0वी0) का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (Project Id 10407)।	686	9.80	0.10
2.	सेतु बन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मेलाघाट राज्य मार्ग नं0 107 के किमी0 1 में रेलवे क्रॉसिंग नं0 टी0/30-बी-1 पर रेलवे ओवर ब्रिज (आर0ओ0वी0) का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (Project Id 10394)।	640	8.66	0.10
	कुल योग	1326	18.46	0.20

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- i. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में गिनाए हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 149101/XXVII (7)/ E- 20109/ 2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाये। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य डममे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उम सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- iv. निर्माण कार्यों को समयवद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- v. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- vi. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- vii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उमी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- viii. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्च्योरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/ 2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या- 22, के अन्तर्गत मंगल अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xiii. कार्यमूल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लोक

निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नये निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/383128/2026 दिनांक 27 मार्च, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by

Rajendra Singh Patiyal

Date: 27-03-2026

18:23:15

(राजेंद्र सिंह पतियाल)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाउं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग2 -, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
संयुक्त सचिव

आवंटन पत्र संख्या -I/383410/2026
 अनुदान संख्या -022

 आवंटन आई डी-S26030220100
 आवंटन पत्र दिनांक-28-MAR-2026

लेखा शीर्षक

 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नये निर्माण कार्य

 04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-सूहद निर्माण				7890000		20000		0		7910000		
योग				7890000		20000		0		7910000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून


(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक-437/20 यातायात 'क' (वित्तीय स्वीकृति)नियोजन-1/2026,

दिनांक-04/अप्रैल/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, *देहरादून*
2. अधीक्षण अभियन्ता, *नरुवा* वृत्त, लोक निर्माण विभाग, *रुद्रपुर उधम सिंह नगर*
3. अधिशासी अभियन्ता, *निर्माण* खण्ड, लोक निर्माण विभाग, *खुरीया*
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

04/04/26
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून